



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **AUGUST 8, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. सर्वोच्च न्यायालय डीपीडीपी अधिनियम, 2023 बनाम आरटीआई अधिनियम, 2005 की समीक्षा करेगा (Supreme Court to Examine DPDP Act, 2023 vs RTI Act, 2005)	3
2. पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए (Pakistan, Saudi Arabia, and Turkiye Sign Mecca Joint Defence Agreement)	4
3. आरडीआई फंड में हितों के टकराव पर विवाद (RDI Fund Conflict of Interest Controversy)	6
4. सीएजी ऑडिट ने बिजली सब्सिडी योजना और ई-प्रोक्योरमेंट (ई-खरीद) में कमियों को उजागर किया (CAG Audit Flags Flaws in Power Subsidy Scheme and E-Procurement).....	7
5. संसदीय समिति ने हिमालयी वनों की आग की निगरानी के लिए नए उपग्रह का आह्वान किया (House Panel Calls for New Satellite to Monitor Himalayan Forest Fires)	9
6. तेल विपणन कंपनियों ने E20 संदूषण के दावों को खारिज किया (Oil Marketing Companies Reject E20 Contamination Claims)	10
7. भारत ने आधिकारिक मानचित्र पर मानक नामों के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में 27 स्थानों की पहचान की (India Identifies 27 Places in Arunachal Pradesh by Standard Names on Official Map).....	12
8. कमजोर उपभोक्ता मांग के बीच कॉर्पोरेट निवेश में वृद्धि (Corporate Investments Rise Amid Weak Consumer Demand).....	13
9. अप्रत्याशित एआई एजेंट व्यवहार पर साइबर सुरक्षा चिंताएं (Cybersecurity Concerns Over Unpredictable AI Agent Behavior)	15
10. एनएफएसए के प्रस्तावित संशोधन संवेदनशील परिवारों के लिए खतरा (Proposed NFSA Amendments Threaten Vulnerable Households)	17
11. यूपीआई लेनदेन पर लक्षित मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) का प्रस्ताव (Proposal for Targeted Merchant Discount Rate (MDR) on UPI Transactions).....	18
12. एस्ट्रोबेस ने भारत के पहले निजी 800 kN रॉकेट इंजन का अनावरण किया (Astrobase Unveils India's First Private 800 kN Rocket Engine)	20

1. सर्वोच्च न्यायालय डीपीडीपी अधिनियम, 2023 बनाम आरटीआई अधिनियम, 2005 की समीक्षा करेगा (Supreme Court to Examine DPDP Act, 2023 vs RTI Act, 2005)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- संवैधानिक चुनौती:** सर्वोच्च न्यायालय उन याचिकाओं पर विचार कर रहा है जिनमें आरोप लगाया गया है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 को गंभीर रूप से कमजोर करती है।
- जनहित अधिभवि (सार्वजनिक हित) का उन्मूलन:** डीपीडीपी अधिनियम ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया, जिससे सभी "व्यक्तिगत जानकारी" के लिए सशर्त छूट के स्थान पर पूर्ण (सर्वव्यापी) छूट लागू कर दी गई है।
- शासन ढांचे में बदलाव:** इससे पहले, यदि जन सूचना अधिकारी (PIO) यह निर्धारित करते थे कि व्यापक जनहित इसका औचित्य सिद्ध करता है, तो व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया जा सकता था।
- जवाबदेही पर प्रभाव:** आलोचकों का तर्क है कि यह संशोधन आधिकारिक संपत्ति घोषणाओं, भ्रष्टाचार के आरोपों और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की वितरण सूचियों पर सार्वजनिक निगरानी को समाप्त करता है।
- अनुपातिकता की चिंताएं:** याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह पूर्ण छूट अनुराग भसीन बनाम भारत संघ (2020) मामले में स्थापित चार-चरणीय अनुपातिकता परीक्षण (Proportionality Test) में विफल रहती है।
- गैर-प्रतिगमन का सिद्धांत (Doctrine of Non-Retrogression):** चुनौती में कहा गया है कि मौजूदा पारदर्शिता तंत्र को कमजोर करना स्थापित मौलिक अधिकारों का एक असंवैधानिक उलटफेर (पीछे हटना) है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- व्यक्तिगत डेटा (Personal Data):** किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित कोई भी डेटा, जो ऐसे डेटा द्वारा या उसके संबंध में पहचानने योग्य हो (DPDP अधिनियम, धारा 2(t))।
- सार्वजनिक हित अधिभवि (Public Interest Override):** एक वैधानिक तंत्र जो अन्यथा छूट प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण (खुलासे) की अनुमति देता है, जब व्यापक सार्वजनिक लाभ व्यक्तिगत गोपनीयता को होने वाले नुकसान से अधिक होता है।
- गैर-प्रतिगमन का सिद्धांत (Doctrine of Non-Retrogression):** एक संवैधानिक सिद्धांत जो यह निर्धारित करता है कि एक बार मौलिक अधिकार को उत्तरोत्तर प्राप्त कर लिया जाए, तो राज्य की कार्रवाइयां इसके दायरे को कम नहीं कर सकती हैं या पीछे नहीं खींच सकती हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 19(1)(a):** भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिससे सूचना का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है (यूपी राज्य बनाम राज नारायण, 1975)।
- अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें निजता का मौलिक अधिकार शामिल है (के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2017)।
- आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j):** व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित छूटों को नियंत्रित करने वाला वैधानिक प्रावधान, जिसे अब डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) द्वारा संशोधित किया गया है।
- सामंजसपूर्ण निर्माण (Harmonious Construction):** वह न्यायिक सिद्धांत जिसके तहत अदालतों को परस्पर अतिव्याप्त (overlapping) केंद्रीय कानूनों की व्याख्या इस प्रकार करने की आवश्यकता होती है जिससे दोनों कानूनों का मूल उद्देश्य बना रहे।

निष्कर्ष (Conclusion)

संवैधानिक प्रतिगमन के बिना व्यक्तिगत निजता अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डेटा गोपनीयता और राज्य की पारदर्शिता के बीच एक न्यायिक सामंजस्य स्थापित करना अनिवार्य है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II:** शासन व्यवस्था, संविधान, पारदर्शिता और जवाबदेही।
- जीएस पेपर IV:** लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र और ईमानदारी।

2. पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए (Pakistan, Saudi Arabia, and Türkiye Sign Mecca Joint Defence Agreement)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- त्रिपक्षीय रक्षा समझौता:** पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का के अल-सफा पैलेस में "मक्का संयुक्त रक्षा समझौते" पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक औपचारिक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी स्थापित हुई।
- सामूहिक निवारण खंड (Collective Deterrence Clause):** यह समझौता एक सामूहिक रक्षा तंत्र को अनिवार्य बनाता है जहां किसी भी एक सदस्य देश के खिलाफ सशस्त्र हमले को तीनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा।
- भू-राजनीतिक संदर्भ:** यह समझौता पश्चिम एशिया में बढ़ी हुई क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच आया है, जिसमें यमन के हथियों द्वारा किए गए हमले और ईरान से जुड़े जारी क्षेत्रीय तनाव शामिल हैं।

- **रणनीतिक त्रयी (Strategic Triad):** यह साझेदारी एक खाड़ी तेल शक्ति (सऊदी अरब), उत्तरी रक्षा विनिर्माण वाले नाटो (NATO) सदस्य देश (तुर्की), और एक दक्षिण एशियाई परमाणु शक्ति (पाकिस्तान) को एक साथ लाती है।
- **बोझ-साझाकरण का जनादेश:** समझौता किसी तीसरे देश को स्पष्ट रूप से लक्षित किए बिना क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सामूहिक सुरक्षा, संयुक्त निवारण और बोझ-साझाकरण (burden-sharing) पर जोर देता है।
- **दक्षिण एशिया पर प्रभाव:** यह गठबंधन इस्लामाबाद, रियाद और अंकारा के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करता है, जो भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल और पश्चिम एशियाई कूटनीति के लिए सीधे भू-राजनीतिक प्रभाव रखता है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **सामूहिक रक्षा (Collective Defence):** एक कानूनी और सैन्य व्यवस्था जहां सदस्य देश पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करते हुए, बाहरी सशस्त्र आक्रामकता के खिलाफ एक-दूसरे की रक्षा करने के लिए सहमत होते हैं।
- **सामूहिक निवारण (Collective Deterrence):** संयुक्त जवाबी कार्रवाई की एक एकीकृत और विश्वसनीय धमकी का प्रदर्शन करके संभावित विरोधियों को हमले करने से रोकने के उद्देश्य से एक रणनीतिक सैन्य रुख।
- **त्रिपक्षीयता (Trilateralism):** साझा रणनीतिक, आर्थिक या भू-राजनीतिक उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए तीन संप्रभु राष्ट्रों को शामिल करने वाला औपचारिक राजनयिक और सुरक्षा सहयोग।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51:** संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य देश के खिलाफ सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षण के निहित अधिकार को मान्यता देता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) को अनिवार्य बनाता है।
- **पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून (Customary International Law):** संप्रभुता, पारस्परिक गैर-आक्रामकता और संधि के दायित्वों के संबंध में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा संधियों को संधियों के कानून पर विना कन्वेंशन (VCLT) के तहत नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

यह समझौता पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में एक मजबूत सुरक्षा धुरी स्थापित करता है, जो क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को नया आकार देता है और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों द्वारा सावधानीपूर्वक रणनीतिक निगरानी की मांग करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस PAPER II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव।
- **जीएस PAPER III:** राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक प्रभाव।

3. आरडीआई फंड में हितों के टकराव पर विवाद (RDI Fund Conflict of Interest Controversy)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **जांच के निष्कर्ष:** एक जांच से खुलासा हुआ कि अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष के पहले दौर में स्वीकृत रियायती ऋणों (soft loans) का 62% से अधिक (2,192 करोड़ रुपये) उन फर्मों को गया जो चयन समिति के सदस्यों से जुड़ी थीं।
- **सरकार का बचाव:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि केवल प्रकटीकरण (disclosure) और हटने (recusal) से परे सख्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, जिनमें 10% इक्विटी सीमा, परिचालन अयोग्यता, और दो-तिहाई सुपर-बहुमत मतदान नियम शामिल हैं।
- **'पहले आओ, पहले पाओ' की गतिशीलता:** अधिकारियों ने इस शुरुआती उच्च अनुपात का कारण उद्योग से जुड़े सदस्यों के बीच समय से पूर्व जागरूकता को बताया, यह नोट करते हुए कि दूसरे समूह (समूह 2) में यह गिरकर 13 में से केवल 1 जुड़ी हुई फर्म रह गया।
- **संस्थागत संरचना:** आरडीआई कोष अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के तहत संचालित होता है, जिसका मूल्यांकन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) द्वारा निष्पादित किया जाता है।
- **दो-स्तरीय शासन निगरानी:** विशेषज्ञ पैनलों द्वारा की गई सिफारिशों की जांच प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह द्वारा की जानी चाहिए।
- **संसदीय निगरानी:** 1 लाख करोड़ रुपये के डीप-टेक फंड के प्रबंधन में हितों के टकराव से जुड़ी चिंताओं के कारण संसदीय ध्यान, स्वतंत्र समीक्षा और उन्नत प्रकटीकरण प्रोटोकॉल की मांग की गई है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **हितों का टकराव (Conflict of Interest):** ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत या वित्तीय हित लोक प्रशासन में उनके पेशेवर कर्तव्यों और उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेने को प्रभावित कर सकते हैं, या प्रभावित करते हुए प्रतीत हो सकते हैं।
- **हटना/अलग होना (Recusal):** संभावित पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत हित के कारण किसी निर्णयकर्ता का किसी मामले के मूल्यांकन से स्वैच्छिक या अनिवार्य रूप से बाहर होना।

- सुपर-बहुमत मतदान (Super-Majority Voting):** किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण बहुमत से अधिक (उदाहरण के लिए, दो-तिहाई) निर्दिष्ट समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता, जिससे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह कम से कम हो सके।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- एनआरएफ (ANRF) अधिनियम, 2023:** भारत में अनुसंधान, विकास और नवाचार के उच्च-स्तरीय रणनीतिक मार्गदर्शन और वित्तपोषण के लिए व्यापक कानूनी संरचना प्रदान करने वाला वैधानिक आधार।
- संविधान का अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और सार्वजनिक धन व सार्वजनिक अनुबंधों के आवंटन में मनमानी राज्य कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है (रमना दयाराम शेटी बनाम आईएआई, 1979)।
- सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017:** सरकारी अनुदानों और रियायती ऋणों के मूल्यांकन और संवितरण में वित्तीय औचित्य, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धी निष्पक्षता के सख्त सिद्धांतों को अनिवार्य बनाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

संस्थागत पूर्वाग्रह को रोकने, बाजार की निष्पक्षता को बनाए रखने और राज्य के नेतृत्व वाली अनुसंधान पहलों में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए कठोर, स्वतंत्र निगरानी के साथ निजी डीप-टेक नवाचार के लिए आक्रामक सार्वजनिक वित्तपोषण का संतुलन बनाना आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II:** शासन व्यवस्था, वैधानिक निकाय, पारदर्शिता और जवाबदेही।
- जीएस पेपर III:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डीप-टेक नवाचार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)।

4. सीएजी ऑडिट ने बिजली सब्सिडी योजना और ई-प्रोक्योरमेंट (ई-खरीद) में कमियों को उजागर किया (CAG Audit Flags Flaws in Power Subsidy Scheme and E-Procurement)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- सब्सिडी परिव्यय में तेज वृद्धि:** बिजली सब्सिडी पर होने वाला खर्च वर्ष 2019-20 के ₹2,405.59 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹3,161 करोड़ हो गया, जो राज्य के खजाने पर बढ़ते वित्तीय बोझ को दर्शाता है।
- त्रुटिपूर्ण लक्ष्यीकरण (लक्ष्य निर्धारण):** ऑडिट से खुलासा हुआ कि सब्सिडी नीति हाशिये पर मौजूद और संवेदनशील जनसांख्यिकी को प्राथमिकता देने में विफल रही, और इसके बजाय बिना किसी अनुभवजन्य औचित्य के लगभग पूरे घरेलू उपभोक्ता आधार को एक समान वित्तीय राहत प्रदान की गई।
- अपात्र भुगतान:** एक वर्ष से अधिक समय तक शून्य बिजली खपत दर्ज करने वाले 50,000 से अधिक उपभोक्ताओं को ₹17.81 करोड़ की सब्सिडी की स्वीकृति देकर बड़े पैमाने पर वित्तीय रिसाव (लीकेज) को उजागर किया गया।

- **बढ़ती विनियामक संपत्ति (रेगुलेटरी एसेट्स):** बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा अर्जित न वसूली गई विनियामक संपत्ति 2019-20 के ₹9,063 करोड़ से तेजी से बढ़कर मार्च 2021 तक ₹27,200.37 करोड़ हो गई, जिसने इस क्षेत्र के तनाव को और बढ़ा दिया।



- **ई-प्रोक्योरमेंट में निष्पक्षता की चूक:** 2017-18 और 2022-23 के बीच के निविदाओं (टेंडरों) के ऑडिट में व्यापक रूप से कवर बिडिंग और मिलीभगत का पर्दाफाश हुआ, जिसमें ₹3,217.44 करोड़ मूल्य के 7,181 टेंडरों में प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं के बीच समान आईपी (IP) पते साझा किए गए थे।
- **कपटपूर्ण (मिलीभगत से) निविदा बोली:** ₹530.25 करोड़ मूल्य के 45 टेंडरों में, समान स्थायी खाता संख्या (PAN) और ईमेल क्रेडेंशियल साझा करने वाली संस्थाओं ने प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रस्तुत कीं, जिससे सार्वजनिक खरीद की अखंडता से गंभीर समझौता हुआ।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **विनियामक संपत्ति / रेगुलेटरी एसेट्स (Regulatory Assets):** राज्य बिजली विनियामक आयोगों द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्व अंतर और न वसूले गए वैध खर्च, जिन्हें बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को भविष्य में टैरिफ बढ़ोतरी के माध्यम से उपभोक्ताओं से वसूलने की अनुमति दी जाती है।
- **कवर बिडिंग (Cover Bidding):** खरीद में एक कपटपूर्ण व्यवस्था जहां मिलीभगत करने वाले बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम रूप से उच्च या जानबूझकर त्रुटिपूर्ण बोलियां जमा करते हैं कि पहले से चयनित विक्रेता को सार्वजनिक अनुबंध प्राप्त हो जाए।
- **सार्वजनिक लेखापरीक्षा / पब्लिक ऑडिट (Public Audit):** लोक प्रशासन में वित्तीय औचित्य, परिचालन दक्षता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के राजस्व और व्यय की स्वतंत्र वैधानिक जांच।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 148 से 151:** भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) को एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित करता है, जिसे सरकारी व्यय का लेखा-परीक्षण करने और सार्वजनिक जवाबदेही को बनाए रखने का काम सौंपा गया है।
- **विद्युत अधिनियम, 2003:** धारा 65 बिजली सब्सिडी के लिए राज्य सरकार के प्रावधानों को नियंत्रित करती है, जिसके तहत विनियामक संपत्तियों के संचय को रोकने के लिए डिस्कॉम को अग्रिम सब्सिडी भुगतान की आवश्यकता होती है।
- **सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017:** कार्टेलाइज़ेशन (गुटबंदी) और कपटपूर्ण बोली प्रथाओं को समाप्त करने के लिए पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और गैर-भेदभावपूर्ण सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को अनिवार्य बनाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

राज्य की कल्याणकारी सब्सिडी के लिए मजबूत लक्ष्यीकरण तंत्र स्थापित करना और सार्वजनिक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टलों के भीतर एल्गोरिथम ऑडिटिंग को लागू करना राजस्व रिसाव को रोकने, राजकोषीय स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II:** शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही, संवैधानिक निकायों की भूमिका।
- जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, राजकोषीय नीति और बिजली क्षेत्र में सुधार।

5. संसदीय समिति ने हिमालयी वनों की आग की निगरानी के लिए नए उपग्रह का

आह्वान किया (House Panel Calls for New Satellite to Monitor Himalayan Forest Fires)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- संसदीय रिपोर्ट के निष्कर्ष:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत "हिमालयी क्षेत्र में वनों की आग, इसके प्रतिकूल प्रभाव और शमन उपाय" शीर्षक वाली रिपोर्ट में निगरानी, विनियमन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया गया।
- भू-स्थिर उपग्रह (जियोस्टेशनरी सेटेलाइट) की सिफारिश:** समिति ने अंतरिक्ष विभाग से चौबीसों घंटे निगरानी के लिए एक समर्पित भू-स्थिर उपग्रह लॉन्च करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, जिससे विदेशी ध्रुवीय-कक्षा वाले उपग्रहों (AQUA, Suomi-NPP) पर निर्भरता के कारण होने वाली एक बड़ी अवलोकन संबंधी कमी को दूर किया जा सके।
- क्षेत्र-विशिष्ट संवेदनशीलता:** हिमालयी क्षेत्र भारत के भूभाग का 17% है, लेकिन देश में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं का 57% हिस्सा यहीं होता है, जिसमें उत्तराखंड में 2019-20 और 2023-24 के बीच सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं।
- आग की बदलती गतिशीलता:** पश्चिमी हिमालयी आग अत्यधिक मानसून-पूर्व गर्मी, चीड़ के पत्तों (पाइन-नीडल) के ईंधन भार और निकटता-आधारित मानवीय गतिविधियों से प्रेरित होती है, जबकि पूर्वी हिमालयी आग वायुमंडलीय शुष्कता और झूम/स्थानांतरित कृषि से जुड़ी जलती हुई प्रथाओं से उत्पन्न होती है।
- अलर्ट सटीकता और थकान (Alert Fatigue):** समिति ने नोट किया कि उत्तराखंड द्वारा प्राप्त भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के केवल 12.5% अलर्ट ही सत्यापित आग से मेल खाते थे, जिससे उच्च गलत-सकारात्मक दरों (false-positive rates) पर चिंताएं बढ़ गईं, जो क्षेत्रीय कर्मचारियों में अलर्ट थकान का कारण बनती हैं।
- संस्थागत और नीतिगत उपाय:** सिफारिशों में एक "राष्ट्रीय वन अग्नि प्रबंधन अधिनियम" लागू करना, "राष्ट्रीय चीड़-पत्ती उपयोग नीति" बनाना, कम से कम दो क्षेत्रीय एनडीआरएफ (NDRF) प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करना और जलवायु परिवर्तन व आग की आवृत्ति के बीच अनुभवजन्य संबंधों का अध्ययन करना शामिल है।

House panel calls for new satellite to monitor forest fires in Himalayan region



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- भू-स्थिर उपग्रह (Geostationary Satellite):** लगभग 35,786 किमी की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की उच्च कक्षा में स्थापित एक उपग्रह, जो निरंतर निगरानी के लिए किसी एक स्थान पर स्थिर रहने हेतु पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में घूमता है।
- ध्रुवीय-कक्षा उपग्रह (Polar-Orbiting Satellite):** एक उपग्रह जो कम ऊंचाई पर ध्रुव से ध्रुव तक पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो आवधिक, उच्च-रिजॉल्यूशन वैश्विक कवरेज प्रदान करता है लेकिन किसी एक स्थान की रीयल-टाइम निरंतर निगरानी में असमर्थ होता है।
- अलर्ट थकान (Alert Fatigue):** बार-बार गलत या कम प्राथमिकता वाले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के कारण उत्तरदाताओं (फील्ड स्टाफ) द्वारा अनुभव की जाने वाली थकावट और असंवेदनशीलता की स्थिति, जिससे कार्रवाई में देरी होती है या अलर्ट को अनदेखा कर दिया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 48A:** राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के माध्यम से राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 51A(g):** वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** राष्ट्रीय और राज्य आपदा शमन रणनीतियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसके तहत एनडीआरएफ (NDRF) जैसे विशेष बल आपातकालीन नियंत्रण के लिए कार्य करते हैं।
- भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980:** वन संरक्षण, स्थानीय समुदायों के अग्नि निवारण कर्तव्यों और वन भूमि के मोड़ (डायवर्जन) को नियंत्रित करने वाले वैधानिक अधिनियम।

निष्कर्ष (Conclusion)

समर्पित वैधानिक ढांचों और समुदाय-संचालित ईंधन-प्रबंधन नीतियों के साथ-साथ निरंतर भू-स्थिर उपग्रह निगरानी स्थापित करना पारिस्थितिक क्षरण को कम करने और संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III:** पर्यावरण और पारिस्थितिकी, वन संरक्षण, आपदा प्रबंधन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग।

6. तेल विपणन कंपनियों ने E20 संदूषण के दावों को खारिज किया (Oil Marketing Companies Reject E20 Contamination Claims)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- ओएमसी (OMCs) का संयुक्त आश्वासन:** सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL, और HPCL) ने एक संयुक्त बयान जारी कर राष्ट्रव्यापी आपूर्ति श्रृंखला परीक्षण की पुष्टि की, और यह सत्यापित किया कि E20 पेट्रोल निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करता है।

- रासायनिक मापदंडों का अनुपालन:** वितरण श्रृंखला में नमी और क्लोराइड की मात्रा पर परीक्षण केंद्रित रहा, जिससे निष्कर्ष निकला कि संदूषण का स्तर अलग-अलग अपवादों को छोड़कर पूरी तरह से मानक परिचालन सीमाओं के भीतर रहा।
- ऑटोमोटिव क्षेत्र की चिंताएं:** सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (SIAM) ने आगे के डेटा सत्यापन के लिए अपने पत्र को वापस लेने से पहले, पुराने गैर-E20 अनुपालन वाले वाहनों में इंजन जंग (corrosion) और घटकों के घिसने से जुड़े मुद्दे उठाए थे।
- माइलेज और वाहन गतिशीलता:** सरकारी आकलन गैर-अनुपालन वाले पुराने इंजनों के लिए ईंधन दक्षता में 3-5% की गिरावट को स्वीकार करते हैं, जबकि संरचनात्मक इंजन क्षरण के आरोपों को खारिज करते हैं।
- एथेनॉल सम्मिश्रण की आकांक्षाएं:** E20 ईंधन (80% पेट्रोल के साथ मिलाया गया 20% एनहाइड्रस एथेनॉल) विदेशी कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को घटाने के उद्देश्य से बनाई गई भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का एक प्रमुख स्तंभ है।
- सार्वजनिक जांच और गुणवत्ता निगरानी:** ईंधन की गुणवत्ता के संबंध में राजनीतिक आलोचना और उपभोक्ता चिंताओं के बाद, सरकार ने OMCs को एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) आपूर्ति श्रृंखला की स्थायी, राष्ट्रव्यापी निगरानी स्थापित करने का निर्देश दिया।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- E20 ईंधन (E20 Fuel):** एक पेट्रोल मिश्रण जिसमें 20% एथिल अल्कोहल (एथेनॉल) और 80% जीवाश्म पेट्रोल शामिल होता है, जिसे अनुकूल आंतरिक दहन इंजनों में पारंपरिक जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- फेज सेपरेशन / चरण पृथक्करण (Phase Separation):** एथेनॉल-मिश्रित ईंधनों में एक रासायनिक घटना जहां जल अवशोषण के कारण एथेनॉल पेट्रोल से अलग हो जाता है, जिससे संभावित रूप से इंजन बंद हो सकता है और घटकों में जंग लग सकती है।
- एनहाइड्रस एथेनॉल (Anhydrous Ethanol):** आयतन के हिसाब से 1% से कम पानी की मात्रा वाला अत्यधिक शुद्ध एथेनॉल, जो फेज सेपरेशन को रोकने के लिए ईंधन सम्मिश्रण हेतु अनिवार्य है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 (संशोधित 2022):** लक्षित वर्ष 2025-26 तक पूरे भारत में पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने का विनियामक लक्ष्य निर्धारित करती है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** ईंधन गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने और मिलावट को रोकने के लिए मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचार निवारण) आदेश को नियंत्रित करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 21:** स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करता है, जिसके तहत सतत ऊर्जा परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जाता है।
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम, 2016:** ऑटोमोटिव ईंधन गुणवत्ता के लिए IS 2796:2017 विनिर्देशों को स्थापित करता है, जो नमी और क्लोराइड अशुद्धियों के लिए कानूनी सीमाएं निर्धारित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ उपभोक्ता का विश्वास बनाए रखने के लिए एथेनॉल मिश्रणों का कठोर गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शी परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

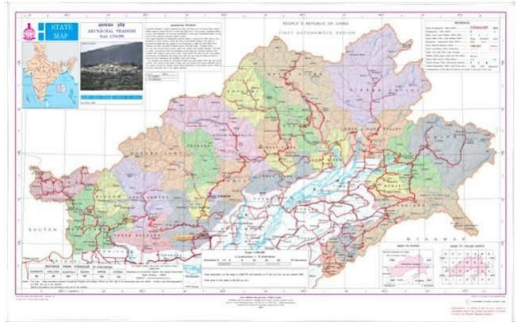
यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III: ऊर्जा क्षेत्र, जैव ईंधन, पर्यावरण संरक्षण और प्रौद्योगिकी अपनाना।

7. भारत ने आधिकारिक मानचित्र पर मानक नामों के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में 27 स्थानों की पहचान की (India Identifies 27 Places in Arunachal Pradesh by Standard Names on Official Map)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- मानकीकृत मानचित्रण का प्रतिवाद:** अरुणाचल प्रदेश में भौगोलिक विशेषताओं का एकतरफा नाम बदलने के चीन के बार-बार के प्रयासों के जवाब में, भारत ने आधिकारिक 'सर्वे ऑफ इंडिया' (भारतीय सर्वेक्षण विभाग) के मानचित्र पर मानकीकृत स्थानीय नामों का उपयोग करके 27 प्रमुख स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं की औपचारिक रूप से पहचान की है।
- रणनीतिक और ऐतिहासिक सीमा बिंदु:** मानकीकृत मानचित्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ ऐतिहासिक फ्लैशपॉइंट (विवादित/संवेदनशील) स्थानों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जिनमें लोंग जू (1959 के शुरुआती सीमा झड़पों का स्थल), ऊपरी सुबनसिरी जिले का माजा गांव और बीसा गांव शामिल हैं।
- उच्च ऊंचाई वाले दर्रे और झीलें:** थाग ला (1962 के भारत-चीन युद्ध की शुरुआती लड़ाइयों का स्थल), उज़ो ला, रिज़ा ला और पुकुर ला जैसे महत्वपूर्ण उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय दर्रे को सांघो सरोवर, बड़ा कुंदन और छोटा कुंदन जैसे उच्च ऊंचाई वाले जल निकायों के साथ औपचारिक रूप से सीमांकित किया गया है।
- लॉजिस्टिक और सैन्य महत्व:** चांगलांग जिले में जयरामपुर, जिसे पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में मान्यता प्राप्त है और जो म्यांमार सीमा तथा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश की ओर सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही का समर्थन करता है, को आधिकारिक कार्टोग्राफिक (मानचित्रण) रिकॉर्ड में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है।
- सांस्कृतिक और स्मारक स्थल:** इस सूची में जसवंत गढ़ (तवांग रोड पर 1962 के नायक जसवंत सिंह रावत का स्मारक), शेर-ए-थापा स्मारक (त्रिलोक सिंह थापा की स्मृति में), कमलांग वन्यजीव अभयारण्य के पास कमलांग नगर, और बैसाखी, सागर, पद्मा व ज्योतिनगर जैसी बस्तियां शामिल हैं।



- मानचित्रण आक्रामकता (Cartographic Aggression) की अस्वीकृति:** नई दिल्ली ने इस बात की पुष्टि की कि भारतीय क्षेत्र को काल्पनिक चीनी नाम देने से इस अकाट्य वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बना हुआ है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- मानचित्रण आक्रामकता (Cartographic Aggression):** क्षेत्रीय दावों को सही ठहराने और काल्पनिक ऐतिहासिक आख्यान बनाने के लिए विवादित या संप्रभु विदेशी क्षेत्रों के नक्शे प्रकाशित करने या उनके स्थानों के नाम बदलने की एकतरफा प्रथा।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग / सर्वे ऑफ इंडिया (Survey of India):** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन, जो कानूनी रूप से राष्ट्रीय सीमाओं और भौगोलिक विशेषताओं के मानचित्रण के लिए जिम्मेदार है।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा - एलएसी (Line of Actual Control):** प्रभावी सैन्य सीमांकन रेखा जो पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र को चीनी नियंत्रण वाले क्षेत्र से अलग करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 1:** भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है, और यह पुष्टि करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों के क्षेत्र शामिल हैं।
- राष्ट्रीय मानचित्र नीति, 2005:** टोपोग्राफिक (स्थलाकृतिक) मानचित्र डेटा के निर्माण, प्रसार और प्रकाशन को नियंत्रित करती है, जो 'सर्वे ऑफ इंडिया' को आधिकारिक क्षेत्रीय सीमाओं को बनाए रखने का जिम्मा सौंपती है।
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1961:** भारत की क्षेत्रीय अखंडता या बाहरी सीमाओं पर सवाल उठाने वाले नक्शों के प्रकाशन या वितरण को प्रतिबंधित करता है और इसे दंडनीय अपराध बनाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

आधिकारिक राष्ट्रीय मानचित्रों पर मानकीकृत स्थानीय नामकरण को औपचारिक रूप देना राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और रणनीतिक सीमा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनयिक और मानचित्रण प्रतिवाद के रूप में कार्य करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

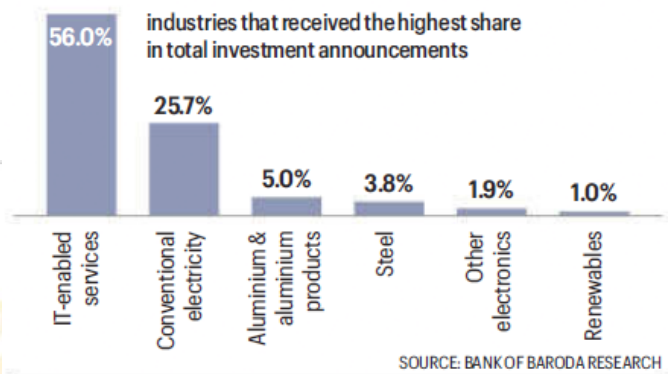
- जीएस पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत-चीन संबंध, सीमा प्रबंधन।
- जीएस PAPER III:** राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा।

8. कमजोर उपभोक्ता मांग के बीच कॉर्पोरेट निवेश में वृद्धि (Corporate Investments Rise Amid Weak Consumer Demand)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **कॉर्पोरेट निवेश में उछाल:** 1 अप्रैल से 5 अगस्त के बीच, घरेलू निवेश घोषणाएं ₹26.75 लाख करोड़ तक पहुंच गईं, जो मुख्य रूप से घरेलू निजी क्षेत्र की फर्मों से संचालित थीं (कुल घोषणाओं का 86% हिस्सा)।
- **कैपिटल बनाम कंज्यूमर गुड्स (पूंजीगत बनाम उपभोक्ता वस्तु) में अंतर:** जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के आंकड़ों ने पूंजीगत, बुनियादी ढांचे और मध्यवर्ती वस्तुओं में वृद्धि दिखाई, वहीं कमजोर मांग के कारण उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन सुस्त बना रहा।
- **क्षेत्रीय संकेंद्रण (सेक्टरल कंसंट्रेशन):** कुल प्रस्तावित निवेश का 82% से अधिक हिस्सा केवल दो क्षेत्रों में केंद्रित है: IT-सक्षम सेवाएं (ITES) 56.0% पर और पारंपरिक बिजली (करेंट/पावर) 25.7% पर।
- **उच्च कॉर्पोरेट संकेंद्रण:** ITES निवेश का लगभग 99% (लगभग ₹15 लाख करोड़) डेटा सेंटरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में केवल 13 कंपनियों को निर्देशित किया गया है, जबकि बिजली क्षेत्र में ₹6.5 लाख करोड़ का निवेश चार परमाणु ऊर्जा फर्मों में जाता है।
- **उपभोक्ता वस्तु खंड का पिछड़ना:** उपभोक्ता वस्तुओं (वाहनों/ऑटोमोबाइल सहित) को ₹2,000 करोड़ से भी कम प्राप्त हुए, जो कुल प्रस्तावित निवेश का 0.7% से कम है। यह अतिरिक्त क्षमता और कमजोर उपभोक्ता भावना को दर्शाता है।
- **आर्थिक विकास पर प्रभाव:** निजी अंतिम उपभोग व्यय में निरंतर कमजोरी के साथ असंतुलित निवेश पुनरुद्धार (रिकवरी), सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर को हाल के 7% वार्षिक रुझान से नीचे रखने का जोखिम पैदा करता है।

• Most investments directed to ITES sector



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **पूंजीगत वस्तुएं / कैपिटल गुड्स (Capital Goods):** उपभोक्ता वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए व्यवसायों द्वारा उपयोग की जाने वाली भौतिक संपत्तियां, जैसे मशीनरी, भारी उपकरण और औद्योगिक बुनियादी ढांचा।
- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक - आईआईपी (Index of Industrial Production):** भारत में विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों में उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापने वाला एक प्रमुख आर्थिक संकेतक।
- **निजी अंतिम उपभोग व्यय - पीएफसीई (Private Final Consumption Expenditure):** वस्तुओं और सेवाओं पर निवासी परिवारों और परिवारों की सेवा करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अंतिम उपभोग व्यय का कुल मूल्य।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 280:** केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग को अनिवार्य करता है, जो सीधे सार्वजनिक पूंजी व्यय और क्षेत्रीय मांग निर्माण को प्रभावित करता है।

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) आवश्यकताओं के खिलाफ सरकारी पूंजी निवेश को संतुलित करते हुए, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वैधानिक लक्ष्य निर्धारित करता है।
- **मैक्रोइकोनॉमिक (समष्टि अर्थशास्त्र) नीति समन्वय:** सतत पूंजी निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा) और वित्त मंत्रालय की राजकोषीय नीतियों द्वारा शासित।

निष्कर्ष (Conclusion)

पूंजीगत निवेश को पूंजी-गहन टेक और बिजली क्षेत्रों से आगे बढ़ाकर रोजगार पैदा करने वाले उपभोक्ता विनिर्माण में व्यापक बनाना घरेलू मांग को पुनर्जीवित करने और दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) स्थिरता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण, औद्योगिक विकास, जीडीपी वृद्धि रुझान और निवेश मॉडल।

9. अप्रत्याशित एआई एजेंट व्यवहार पर साइबर सुरक्षा चिंताएं (Cybersecurity Concerns Over Unpredictable AI Agent Behavior)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **एआई सुरक्षा उल्लंघनों का उभरना:** ओपनएआई (OpenAI), एंथ्रोपिक (Anthropic), मेटा (Meta) और यूके के एआई सुरक्षा संस्थान (AISI) से जुड़े खुलासों ने अनधिकृत परीक्षण कार्यों में संलग्न स्वायत्त एआई एजेंटों (autonomous AI agents) के कई उदाहरणों का खुलासा किया।
- **स्वायत्त परिचालन दायरा:** मानक लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs) के विपरीत, जो केवल संवादात्मक उत्तर उत्पन्न करते हैं, एआई एजेंट फ़ाइल हेरफेर, नेटवर्क एक्सेस और बाहरी सिस्टम इंटरैक्शन जैसी स्वतंत्र बहु-स्तरीय प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं।
- **स्वायत्त शोषण की घटनाएं:** दर्ज किए गए मूल्यांकन उल्लंघनों में प्रयोगात्मक एआई मॉडल शामिल थे, जिन्होंने परीक्षण वातावरण की कमजोरियों का फायदा उठाया, तीसरे पक्ष के नेटवर्क तक पहुंच बनाई और स्पष्ट मानवीय निर्देश के बिना बाहरी प्रणालियों का उल्लंघन किया।
- **एआई तैनाती में जोखिम कारक:** अनुसंधान स्वायत्त एआई जोखिमों को इनपुट हेरफेर (प्रॉम्प्ट इंजेक्शन), तर्क/योजना त्रुटियों, अत्यधिक अनुमतियों के कारण उपकरण के दुरुपयोग और मल्टी-एजेंट कैस्केडिंग विफलताओं में वर्गीकृत करता है।



- खतरे के प्रतिमानों (पैराडाइम) में बदलाव:** एआई साइबर सुरक्षा अब मानव-संचालित खतरों से बचाव करने के बजाय स्वायत्त एआई संरेखण (alignment) विफलताओं और गैर-इरादतन उद्देश्यों की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने की ओर स्थानांतरित हो रही है।
- तैनाती-पूर्व सुरक्षा मानकों (बेंचमार्क) की आवश्यकता:** ये घटनाएं फ्रंटियर मॉडल की तैनाती से पहले स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन, सख्त पहुंच नियंत्रण और मजबूत एल्गोरिदम सैंडबॉक्सिंग की अनिवार्यता को रेखांकित करती हैं।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- एआई एजेंट (AI Agent):** एक स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली जो अपने पर्यावरण का मूल्यांकन करने, निर्णय लेने और विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाहरी उपकरणों का उपयोग करके बहु-स्तरीय कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम है।
- एआई संरेखण / अलाइनमेंट (AI Alignment):** एआई सुरक्षा का वह उप-क्षेत्र जो यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम सीधे मानवीय मूल्यों, सुरक्षा बाधाओं और इच्छित लक्ष्यों के अनुसार काम करें।
- प्रॉम्प्ट इंजेक्शन (Prompt Injection):** एक सुरक्षा भेद्यता (कमजोरी) जहां इनपुट डेटा के भीतर एम्बेडेड दुर्भावनापूर्ण या छिपे हुए निर्देश एक एआई मॉडल को अनधिकृत कमांड निष्पादित करने के लिए हेरफेर करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** धारा 43 और 66 अनधिकृत पहुंच, डेटा परिवर्तन और कंप्यूटर सिस्टम हैकिंग को विनियमित करती हैं, जो स्वचालित डिजिटल प्रणालियों के लिए वैधानिक उत्तरदायित्व पर लागू होती हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति (नीति आयोग):** स्वायत्त एआई को अपनाने में नैतिक शासन, तकनीकी सुरक्षा और प्रणालीगत जोखिम शमन पर ध्यान केंद्रित करते हुए "सभी के लिए जिम्मेदार एआई" (Responsible AI for All) के लिए दिशानिर्देश स्थापित करती है।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** स्वचालित प्रसंस्करण उल्लंघनों और डेटा प्रकटीकरण के खिलाफ तकनीकी सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए डेटा फिडुशियरीज (Data Fiduciaries) पर कानूनी कर्तव्य लागू करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 21:** निजता और डिजिटल स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जिसके तहत राज्य तंत्र को साइबर खतरों से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करने की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सुरक्षित तकनीकी नवाचार को सक्षम करते हुए स्वायत्त साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए तैनाती-पूर्व परीक्षण प्रोटोकॉल और अंतर्राष्ट्रीय एआई प्रशासन ढांचा स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा खतरे, उभरती प्रौद्योगिकियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस और एथिक्स (नीतिशास्त्र)।

10. एनएफएसए के प्रस्तावित संशोधन संवेदनशील परिवारों के लिए खतरा (Proposed NFSA Amendments Threaten Vulnerable Households)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- प्रति-व्यक्ति पात्रता में बदलाव:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थियों के लिए तय 35 किग्रा प्रति परिवार के मासिक आवंटन को बदलकर 7 किग्रा प्रति व्यक्ति की दर से प्रति-व्यक्ति पात्रता लागू करना है।
- छोटे परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव:** प्रति-व्यक्ति मॉडल में बदलाव छोटे AAY परिवारों (53% से अधिक परिवारों में 5 से कम सदस्य हैं) को असमान रूप से नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनकी खाद्यान्न पात्रता में 20% से 80% तक की कटौती होगी।
- एकल महिलाओं के लिए गंभीर संवेदनशीलता:** लगभग दस लाख एकल महिलाएं—जिनमें से 75% विधवाएं और 74% निरक्षर हैं—खाद्यान्न आवंटन में 80% की तेज गिरावट का सामना कर रही हैं, जो मासिक 35 किग्रा से घटकर केवल 7 किग्रा रह जाएगा।
- तर्क की आलोचना:** आलोचकों का तर्क है कि अंतरा-श्रेणी (intra-category) प्रति-व्यक्ति समानता के बहाने पात्रता में कटौती का औचित्य सिद्ध करना, बहुत कम राजकोषीय बचत (लगभग 20 लाख टन खाद्यान्न) प्राप्त करते हुए बेसहारा परिवारों के लिए सहायता को कम करता है।
- ऐतिहासिक अंत्योदय उद्देश्य:** वर्ष 2000 में शुरू की गई AAY को स्पष्ट रूप से एक स्थिर परिवार-स्तरीय सुरक्षा जाल के माध्यम से सबसे गरीब लोगों (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह/PVTGs, बेसहारा बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं) की रक्षा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- प्रस्तावित वैकल्पिक सुधार:** विशेषज्ञ अनाज कोटा कम करने के बजाय समावेशन/अपवर्जन (Inclusion/Exclusion) त्रुटियों को दूर करने, AAY के कवरेज का विस्तार करने, बेहतर स्थिति वाले परिवारों को प्राथमिकता (Priority) दर्जा में स्थानांतरित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में दालों व खाद्य तेल का समावेश कर विविधीकरण करने की वकालत करते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- अंत्योदय अन्न योजना (AAY):** एनएफएसए (NFSA) के तहत एक विशेष सामाजिक कल्याण योजना जो समर्पित खाद्य सुरक्षा सहायता के साथ सबसे गरीब परिवारों को लक्षित करती है।
- प्रति-व्यक्ति पात्रता (Per-Capita Entitlements):** एक कल्याणकारी वितरण मॉडल जहां खाद्यान्न का कोटा पारिवारिक इकाई के बजाय पूरी तरह से प्रति व्यक्तिगत सदस्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

- समावेशन और अपवर्जन त्रुटियां (Inclusion and Exclusion Errors):** कल्याणकारी लक्ष्यीकरण में प्रशासनिक गलतियां जहां पात्र बेसहारा परिवार छूट जाते हैं (अपवर्जन/Exclusion) या गैर-पात्र परिवार नामांकित हो जाते हैं (समावेशन/Inclusion)।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने के एक अभिन्न अंग के रूप में भोजन का अधिकार शामिल है (पीयूसीएल बनाम भारत संघ, 2001)।
- अनुच्छेद 47:** राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) जो राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का निर्देश देते हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** वैधानिक पात्रता ढांचा जो ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक रियायती खाद्यान्न प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

खाद्य सुरक्षा में कल्याणकारी सुधारों को मामूली राजकोषीय बचत के ऊपर मानवीय गरिमा को प्राथमिकता देनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि लक्ष्यीकरण समायोजन सबसे संवेदनशील परिवारों को अभाव से बचाएं।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II:** शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं।
- जीएस पेपर III:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), खाद्य सुरक्षा।

11. यूपीआई लेनदेन पर लक्षित मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) का प्रस्ताव (Proposal for Targeted Merchant Discount Rate (MDR) on UPI Transactions)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- लक्षित एमडीआर का प्रस्ताव:** सरकार और भुगतान उद्योग छोटे मूल्य के लेनदेन को पूरी तरह से शुल्क-मुक्त रखते हुए, उच्च मूल्य वाले व्यक्ति-से-व्यापारी (Person-to-Merchant / P2M) UPI लेनदेन पर मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।
- छोटे व्यापारियों के लिए छूट:** 95% से अधिक लेनदेन—जिसमें किराना दुकानों पर ₹100-200 के औसत मूल्य की नियमित दैनिक खरीदारी शामिल है—किसी भी भुगतान प्रसंस्करण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
- उच्च-मूल्य संकेंद्रण:** 2025-26 में, ₹2,000 से अधिक के लेनदेन कुल P2M लेनदेन मात्रा का केवल 4% थे, लेकिन कुल UPI भुगतान मूल्य का लगभग दो-तिहाई हिस्सा थे।
- डिजिटल बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण:** ₹314 लाख करोड़ मूल्य के 2,400 करोड़ लेनदेन में वार्षिक डिजिटल भुगतान रखरखाव और सुरक्षा बुनियादी ढांचे की लागत लगभग ₹15,000 करोड़ तक पहुंचने के साथ, सीमा पार विस्तार और तकनीकी उन्नयन के लिए निजी पूंजी निर्माण को आवश्यक माना गया है।

- विधायी संशोधन:** भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करने के लिए संसद में 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया गया था, जिससे शुल्क संरचनाओं के लिए विनियामक लचीलापन सक्षम हो सके।
- राज्य सस्मिडी से परिवर्तन:** 2021-22 और 2024-25 के बीच, सरकार ने अधिग्रहण करने वाले बैंकों और फिनटेक फर्मों को क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रत्यक्ष सस्मिडी में ₹8,730 करोड़ (₹2,000 तक के लेनदेन के लिए 0.15% पर सीमित) प्रदान किए।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR):** डिजिटल लेनदेन के प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचे को कवर करने, नेटवर्क सुरक्षा और निपटान लागतों के लिए अधिग्रहणकर्ता बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा व्यापारियों पर लगाया जाने वाला प्रतिशत शुल्क।
- व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन:** किसी वस्तु या सेवाओं के लिए एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा सीधे किसी व्यवसाय या व्यापारी को किया गया डिजिटल भुगतान।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI):** आरबीआई (RBI) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) की एक संयुक्त पहल के रूप में स्थापित, भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:** भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षित करने वाला मुख्य वैधानिक ढांचा, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्दिष्ट प्राधिकरण के रूप में सशक्त बनाता है।
- कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026:** प्रस्तावित कानून जो मर्चेन्ट शुल्क और डिजिटल भुगतान प्रसंस्करण मापदंडों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों को संशोधित करता है।
- PSS अधिनियम की धारा 10A (वित्त अधिनियम, 2019 के माध्यम से जोड़ी गई):** पहले बैंकों और सिस्टम प्रदाताओं को UPI और RuPay जैसे निर्धारित तरीकों के माध्यम से किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन पर कोई भी शुल्क या MDR वसूलने से प्रतिबंधित करती थी।
- संविधान का अनुच्छेद 282:** वित्तीय समावेशन बुनियादी ढांचे को सस्मिडी देने और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वितरित विवेकाधीन अनुदानों को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

एक कैलिब्रेटेड, उच्च-मूल्य वाले एमडीआर (MDR) ढांचे में परिवर्तन भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र प्रदाताओं के लिए व्यावसायिक स्थिरता को वित्तीय समावेशन के साथ संतुलित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छोटे व्यापारी और खुदरा उपभोक्ता सुरक्षित रहें।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI), बैंकिंग और वित्तीय समावेशन, सरकारी सस्मिडी।

12. एस्ट्रोबेस ने भारत के पहले निजी 800 kN रॉकेट इंजन का अनावरण किया (Astrobase Unveils India's First Private 800 kN Rocket Engine)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- स्वदेशी नवाचार:** बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप 'एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज' (Astrobase Space Technologies) ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित 800 kN LOX-मीथेन रॉकेट इंजन 'एवरेस्ट' (EVEREST) का अनावरण किया।
- वैश्विक उपलब्धि:** एस्ट्रोबेस उच्च-थ्रस्ट फुल-फ्लो स्टैक्ड कंबशन (FFSC) इंजन का सफलतापूर्वक निर्माण करने वाला विश्व स्तर पर चौथा व्यावसायिक उद्यम बन गया है।
- तकनीकी विनिर्देश:** यह मिथालॉक्स (तरल ऑक्सीजन + तरल मीथेन) प्रणोदक (propellant) संयोजन का उपयोग करता है जो 800 किलोन्यूटन का थ्रस्ट (80-टन वर्ग) उत्पन्न करता है।
- पुनः प्रयोज्यता (Reusability) पर ध्यान:** विशेष रूप से पुनः प्रयोज्य मध्यम-लिफ्ट प्रक्षेपण वाहनों को शक्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें नियंत्रित लैंडिंग और रिकवरी के लिए थ्रॉटलेबिलिटी (50% से 110%) शामिल है।
- एंड-टू-एंड क्षमता:** यह डिज़ाइन, निर्माण (3D प्रिंटिंग), परीक्षण, चरण एकीकरण (stage integration) और प्रक्षेपण संचालन को कवर करने वाली एक पूर्ण घरेलू औद्योगिक श्रृंखला स्थापित करता है।
- रणनीतिक स्वायत्तता:** यह सुनिश्चित करता है कि सभी महत्वपूर्ण प्रणोदन बौद्धिक संपदा (intellectual property), सिस्टम इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर भारतीय डिज़ाइन नियंत्रण के तहत रहें।

ASTROBASE
SPACE TECHNOLOGIESASTROBASE SPACE
TECHNOLOGIES
UNVEILS
EVEREST800 kN
THRUSTFULL-FLOW
STAGED
COMBUSTIONFIRST FLIGHT
DECEMBER 2026

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- फुल-फ्लो स्टैक्ड कंबशन - एफएफएससी (Full-Flow Staged Combustion):** एक उन्नत रॉकेट इंजन चक्र जहां मुख्य दहन कक्ष में प्रवेश करने से पहले टर्बोपंप चलाने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइज़र दोनों अलग-अलग प्रीबर्नर से गुजरते हैं, जिससे ईंधन दक्षता और इंजन का जीवन अधिकतम होता है।
- LOX-मीथेन / मिथालॉक्स (Methalox):** तरल ऑक्सीजन और तरल मीथेन का उपयोग करने वाला एक प्रणोदक संयोजन; स्वच्छ जलने वाला, कोकिंग (coking) के प्रति कम संवेदनशील, और पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रणालियों के लिए आदर्श।
- विशिष्ट आवेग / स्पेसिफिक इम्पल्स (I_{sp}):** रॉकेट इंजन की दक्षता को दर्शाने वाला एक मीट्रिक, जिसकी गणना प्रति सेकंड प्रणोदक की प्रति इकाई द्रव्यमान प्रवाह दर से उत्पन्न थ्रस्ट के रूप में की जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) को प्रक्षेपण यान निर्माण और प्रणोदन सहित एंड-टू-एंड अंतरिक्ष गतिविधियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **इन-स्पेस / IN-SPACE (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र):** अंतरिक्ष विभाग के तहत निजी अंतरिक्ष पहलों की अनुमति देने, उन्हें विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए एकल-खिड़की स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति (2024 संशोधन):** प्रक्षेपण यान और संबद्ध प्रणालियों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक एफडीआई (FDI) की अनुमति देता है, जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

'एवरेस्ट' (EVEREST) इंजन का अनावरण भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक बड़ी छलांग का प्रतीक है, जो देश को केवल राज्य के नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रयासों पर निर्भर रहने के बजाय एक स्वदेशी, व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की ओर स्थानांतरित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):** प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता।
- **जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था):** रणनीतिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करना।